फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

सोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट मु0 नं0 .... 10/23 ....सन –2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.2023	प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री सतीश चन्द शर्मा द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 17–08–2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर 17.8.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 27.9.23 को पेश हो। रीडर 27.9.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 18.10.23 को पेश हो। रीडर 18.10.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 20.12.23 को पेश हो। रीडर	

20.12.23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 8-2-24 को पेश हो।

8-2-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 13-3-24 को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

13-3-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 22-5-24
को पेश हो।

रीडर

22-5-24
[illegible] उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 31-7-24
को पेश हो।

रीडर

31-7-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 3-9-24
को पेश हो।

रीडर

3-9-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 24-9-24
को पेश हो।

रीडर

24-9-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 21-10-24
को पेश हो।

रीडर

21-10-24 पत्रावली पेश हुई बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05-11-24 को पेश होवे

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

05-11-24 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जावे पत्रावली नक्शा [illegible] हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/25	12.07.2023	136 LR Act	05.11.2024

बउनवान

1-सोहनलाल उम्र करीब 65 साल पुत्र श्री नहना जाति माली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान

प्रार्थी

(बनाम)

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल. आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 20 ऐयर, 1089 रकबा 5 ऐयर, 1090 रकबा 4 ऐयर, 1091 रकबा 7 ऐयर, 1092 रकबा 10 ऐयर, 1093 रकबा 15 ऐयर, 265 रकबा 46 ऐयर, 266 रकबा 45 ऐयर, 1084 रकबा 6 ऐयर, 732 रकबा 60 ऐयर स्थित ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान हैं। जो आराजी प्रार्थनापत्र हाजा में विवादित हैं, जिसको आगामी चरणो में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जा रहा हैं। ताईद में नकल जमाबंदी हाल संलग्न कर पेश की जा रही हैं। यह कि उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थी अपने हिस्से का अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं, तथा वर्तमान में उक्त विवादित आराजी पर अपने हिस्से पर काबिज चला आ रहा है प्रार्थी का वास्तविक नाम सोहनलाल पुत्र श्री नहना जाति माली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान हैं, तथा मिन प्रार्थी को उक्त नाम से ही जाना–पहचाना जाता हैं। लेकिन विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र श्री नहना जाति माली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान के बजाय काला पुत्र श्री नहना जाति माली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि मिन प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, व अन्य आराजी के राजस्व रिकार्ड आदि में मिन प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र श्री नहना जाति माली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान दर्ज हैं।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

लिए विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज उक्त इन्द्राज काला पुत्र श्री ना जाति माली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान गलत हैं, और लाफ कानून व खिलाफ मौका हैं। जिस इन्द्राज के कायम रहने से मिन प्रार्थी के खातेदारी धेकारों पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उक्त इन्द्राज मिन प्रार्थी के अधिकारों के लाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबंदी हैं। और कलमजन किये जाने योग्य हैं।

मिन प्रार्थी को पूर्व में उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गलत अंकन की जानकारी हीं थी। राजस्व रिकार्ड की नकलात प्राप्त करने पर जानकारी हुई। जानकारी होने पर मिन र्थी ने कई बार अप्रार्थी व उनके तहत राजस्व कर्मचारियान पटवारी हल्का आदि से उक्त लत इन्द्राज को दुरूस्त कर मिन प्रार्थी के नाम सही नाम सोहनलाल पुत्र श्री नहना जाति ली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान का खातेदारी का अंकन करने ा निवेदन किया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं।

उपरोक्त वर्णित सूरत में विवादित आराजी के ताहाल राजस्व रिकार्ड में किये गये, खेलाफ कानून व मौका काला पुत्र श्री नहना जाति माली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जेला अलवर राजस्थान अंकन को मिन प्रार्थी के अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअसर व ाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर कलमजन कराकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराकर उक्त वेवादित आराजी के ताहाल राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थी सोहनलाल पुत्र श्री नहना जाति ाली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान के नाम खातेदारी का अंकन कराया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। इसलिए यह प्रार्थनापत्र मिन प्रार्थी को अप्रार्थी के खिलाफ पेश करना अतिआवश्यक हुआ हैं। जो बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है उक्त गलती लिपिकिय त्रुटि स्लिपिंग ऑफ दी पेन की गलती हैं, जो किसी भी स्टेज पर दुरूस्त की जा सकती हैं। कोई विधिक बाधा नहीं हैं।

विवादित आराजी न्यायालय श्रीमान के सीमाक्षेत्र ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। तथा मिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा हैं। कि जिससे प्रार्थनापत्र हाजा श्रीमान के श्रवण योग्य हैं।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 20 ऐयर, 1089 रकबा 5 ऐयर, 1090 रकबा 4 ऐयर, 1091 रकबा 7 ऐयर, 1092 रकबा 10 ऐयर, 1093 रकबा 15 ऐयर, 265 रकबा 46 ऐयर, 266 रकबा 45 ऐयर, 1084 रकबा 6 ऐयर, 732 रकबा 60 ऐयर स्थित ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान के ताहाल राजस्व रिकार्ड में किये गये, खिलाफ कानून व मौका काला पुत्र श्री नहना जाति माली निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर राजस्थान अंकन को प्रार्थी के अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर कलमजन कराकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराकर उक्त विवादित आराजी

उपखण्ड अ...
अल...

Scanned with OKEN Scanner

ताहाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सोहनलाल पुत्र श्री नहना जाति माली निवासी ग्राम भजीट सील व जिला अलवर राजस्थान के नाम खातेदारी का अंकन कराने के लिए अप्रार्थी को चेत आदेश निर्देश दिये जावें। अन्य आज्ञा वो अनुतोष जो उचित व न्यायसंगत हो, बहक र्थी खिलाफ अप्रार्थी पारित वो प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट पत्र रिपोर्ट कमाक 7615 दिनॉक 20-9-23 के अनुसार एल० आर०एक्ट० की धारा 136 के न्तर्गत दर्ज प्रकरण उनवान सोहनलाल बनाम सरकार में रिपोर्ट चाही गई है प्रकरण में प्रार्थी ोहनलाल पुत्र नहना जाति माली निवासी भजीट तहसील अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ख०न० 1074 रकबा 0.20, 1089 रकबा 0.05, 1090 रकबा 0.04, 1091 रकबा 0.07, 1092 कबा 0.10, 1093 रकबा 0.15, 265 रकवा 0.46. 266 रकबा 0.45, 1084 रकबा 0.06, 732 कबा 0.60 वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर में अपना नाम काला पुत्र नहना के स्थान पर ोहनलाल पुत्र नहना दर्ज रिकार्ड किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में मुताबिक ानलाईन जमाबंदी वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर के खाता संख्या 12 में दर्ज ख0न0 074 रकबा 0.20 किस्म बारानी उत्तम, काला पुत्र नहना हि. 1/12 जाति माली सा. देह ातेदार वगैरह कुल 07 खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 198 में दर्ज ख0न0 089 रकबा 0.05 किस्म चाही 1. 1090 रकबा 0.04 किस्म चाही, 1091 रकबा 0.07 किस्म ाही 1, 1092 रकबा 0.10 किस्म चाही 1, 1093 रकबा 0.15 किस्म चाही 1, 265 रकबा 0.46 किस्म नहरी 2, 266 रकबा 0.45 किस्म नहरी 2, काला पुत्र नहना हिस्सा 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन आर0जी0बी0 भजीट मु.बि.क. वगैरह कुल 06 खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। खाला संख्या 72 में दर्ज ख0न0 1084 रकबा 0.06 है० किस्म गै० मु० चाह, काला पुत्र नहला हि. 1/24 जाति माली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 99 में दर्ज ख0न0 732 रकबा 0.60 है० किस्म नहरी 2, काला पुत्र नहना हि. 1/7 जाति माली सा, देह खातेदार वगैरह कुल 05 खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है मुताबिक नामा० संख्या 254 वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर मुलक नहना पुत्र बल्देवा हि.1/4 की विरासत वारिसान भौरा, रामजीलाल, भोमा, दुल्ली, काला नेता पि. नहना हि. 1/4 स.भा. के नाम दर्ज किया जा कर दिनांक 18.09.1977 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया उक्त नामा० संख्या 254 वाके ग्राम भजीट का जमाबंदी संवत 2035 के खाता संख्या 04/06 पर, 82/90 पर एवं खाता संख्या 147/166 पर नोट अंकित है।

मुताबिक चौसाला जमाबंदी संवत 2060-63 वाके ग्राम भजीट के ख0 न0 1074/0.20 पर अन्य खालेदारों के साथ काला पि, नहना का नाम दर्ज रिकार्ड है तथा ख0न0 1089 रकबा 0.05 किस्म चाही 1, 1090 रकबा 0.04 किस्म चाही, 1091 रकबा 0.07 किस्म चाही 1, 1092 रकबा 0.10 किस्म चाही 1, 1093 रकबा 0.15 किस्म चाही 1, 265 रकबा 0.46 किस्म नहरी 2, 266 रकबा 0.45 किस्म नहरी 2 पर भी अन्य खातेदारान के साथ काला

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

नहना दर्ज रिकार्ड है प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की राशनकार्ड की प्रति मैं सोहनलाल पुत्र नहना अंकित है।

मुताबिक रिपोर्ट मौका पर्चा प०ह० भजीट तहसील अलवर मौके पर जानकारी करने ाला पुत्र नहना एवं सोहनलाल पुत्र नहना एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया है।

मुताबिक स्वीकृत नामा० संख्या 254 किस्म विरासत वाके ग्राम भजीट, प्रार्थी का नाम पुत्र नहना तत्कालीन साबिक जमाबंदी से ले कर वर्तमान आनलाईन जमाबंदी तक दर्ज ई चला आ रहा है। जमाबंदी तहरीर के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है।.

प्रकरण में जमाबंदी लेखन के दौरान त्रुटि होना नहीं पाया जा कर नामा० संख्या के द्वारा स्वीकृत विरासत के नामा० में काला पुत्र नहना दर्ज किया जा कर स्वीकृत किया है प्रार्थी उक्त आराजीयात वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर के राजस्व रिकार्ड में काला नहना के स्थान पर सोहनलाल पुत्र नहना दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहता है

नामा० संख्या 254 किस्म विरासत वाके ग्राम भजीट में दुरुस्ती बाबत प्रार्थी द्वारा सक्षम ालय में नामा० की अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जाना उचित होगा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट अवलोकन किया गया प्रकरण प्रार्थना पत्र का नियमो के परिपेक्ष्य मे अवलोकन किया गया बेक पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार मुताबिक स्वीकृत नामा० संख्या 254 किस्म सत वाके ग्राम भजीट, प्रार्थी का नाम काला पुत्र नहना तत्कालीन साबिक जमाबंदी से ले वर्तमान आनलाईन जमाबंदी तक दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। जमाबंदी तहरीर के दौरान प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के भू० अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है भू० लेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है उक्त प्रकरण मे जॉच ान्त एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर कोई प्रमाण नही पाये जाते है अतः रण धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 05-11-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner